



भारतीय रिज़र्व बैंक

RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in

आरबीआइ/2011-2012/70

बैंपविवि. सं. एफआइडी. एफआइसी. 4 /01.02.00/2011-12

1 जुलाई 2011

10 आषाढ 1933 (शक)

अखिल भारतीय मीयादी ऋणदात्री तथा पुनर्वित्त प्रदान करनेवाली संस्थाएँ
(एक्विज़म बैंक, नाबार्ड, एनएचबी एवं सिडबी)

महोदय

मास्टर परिपत्र - वित्तीय संस्थाओं के लिए एक्सपोजर संबंधी मानदंड

कृपया आप उपर्युक्त विषय पर [1 जुलाई 2010 का मास्टर परिपत्र बैंपविवि. सं. एफआइडी. एफआइसी. 4/01.02.00/2010-11](#) देखें। संलग्न मास्टर परिपत्र में 30 जून 2011 तक उक्त विषय पर जारी किए गए सभी अनुदेशों /दिशानिर्देशों को समेकित और अद्यतन किया गया है। यह मास्टर परिपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (<http://www.rbi.org.in>) पर भी उपलब्ध कराया गया है।

2. यह नोट किया जाए कि इस मास्टर परिपत्र में, अनुबंध 4 में सूचीबद्ध परिपत्रों में दिये गये अनुदेशों को समेकित किया गया है।

भवदीय

(दीपक सिंघल)

प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

अनुलग्नक : यथोक्त

बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय, 12वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई 400001
Department of Banking Operations and Development, Central Office, 12th Floor, Central Office Bhavan, Shahid Bhagat Singh
Marg, Mumbai - 400001

टेलीफोन /Tel No: 22661602 फैक्स/Fax No: 22705691 Email ID: cgmicrobdc@rbi.org.in

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाएँ

मास्टर परिपत्र - वित्तीय संस्थाओं के लिए एक्सपोजर संबंधी मानदंड

उद्देश्य

एक्सपोजर मानदंडों के मामले में अखिल भारतीय मीयादी ऋणदात्री तथा पुनर्वित्त प्रदान करनेवाली संस्थाओं को विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान करना।

पिछले अनुदेश

इस मास्टर परिपत्र में अनुबंध 3 में सूचीबद्ध परिपत्रों में निहित उपर्युक्त विषय से संबंधित अनुदेशों को समेकित और अद्यतन किया गया है।

प्रयोज्यता

सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएँ अर्थात् एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी तथा सिडबी।

संरचना

1	प्रस्तावना	4
2	व्याप्ति तथा प्रयोज्यता	4
3	परिभाषाएं	5
	3.1 पूंजी निधियां	5
	3.2 बुनियादी सुविधा (इन्फ्रैस्ट्रक्चर) परियोजनाएं/‘बुनियादी सुविधा ऋण’	5
	3.3 ‘समूह’ उधारकर्ता	6
	3.4 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संबंध में निवल स्वाधिकृत निधियां	6
4	एक्सपोजर सीमाएं	7
	4.1 एकल/व्यक्ति उधारकर्ताओं के लिए	7
	4.2 समूह उधारकर्ताओं के लिए	7
	4.3 पूरक (ब्रिज) ऋण/अंतरिम वित्त के लिए	8
	4.4 कार्यशील पूंजी वित्त	9
	4.5 परिक्रामी हामीदारी सुविधा	9
	4.6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को ऋण	9
	4.7 ऋण प्रतिभूतियों में निवेश	11

4.8	जोखिम पूंजी निधि में निवेश	12
4.9	बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के बीच परस्पर पूंजी धारिता	12
4.10	एक्सपोजर का स्तर	12
4.11	सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा गारंटीकृत बांडों के संबंध में एक्सपोजर	15
4.12	वित्तीय संस्थाओं द्वारा बैंकों की गारंटी पर दिए गए ऋणों के संबंध में अपनाई जानेवाली व्यवस्था	16
4.13	रिपोर्टिंग प्रणाली	16
4.14	समेकित वित्तीय प्रणाली	16
4.15	प्रकटीकरण	17
	अनुबंध - 1	18
1	व्याप्ति	18
2	प्रभावी होने की तारीख तथा संक्रमण काल	19
3	परिभाषाएं	19
4	विनियामक अपेक्षाएं, आंतरिक मूल्यांकन तथा विवेकपूर्ण सीमाएं	20
5	निदेशक मंडलों की भूमिका - रिपोर्टिंग अपेक्षा तथा ऋण प्रतिभूतियों में व्यापार और निपटान	22
	अनुबंध - 2	24
	(सरकारी वित्तीय संस्थाओं की सूची)	
	अनुबंध - 3	25
	(मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची)	

1. प्रस्तावना

वर्ष 1997 में मीयादी ऋणदात्री संस्थाओं के एक्सपोजर की समीक्षा करने पर यह उचित समझा गया कि उनके द्वारा व्यक्तियों/समूह उधारकर्ताओं को दिए गए ऋण के संबंध में ऋण एक्सपोजर सीमा निर्धारित की जाए। तदनुसार, एक ऐसे विवेकपूर्ण उपाय के रूप में, जिसका उद्देश्य बेहतर जोखिम प्रबंधन तथा ऋण-जोखिम संकेंद्रण का परिहार करना है, भारतीय रिज़र्व बैंक ने जून 1997 में व्यक्ति तथा समूह उधारकर्ताओं के प्रति किसी मीयादी ऋणदात्री संस्था के एक्सपोजर की सीमा निर्धारित करने का निश्चय किया तथा उनके लिए एक्सपोजर मानदंड निर्धारित किए गए। इन मानदंडों को विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन प्रणाली के एक भाग के रूप में माना जाए न कि कारगर ऋण मूल्यांकन, निगरानी और अन्य रक्षोपायों के लिए एवजी व्यवस्था के रूप में। उधारकर्ताओं को प्रदत्त ऐसी मौजूदा ऋण सुविधाओं के संबंध में, जो प्रारंभ में निर्धारित सीमा से अधिक थीं, मीयादी ऋणदात्री संस्थाओं को पहला परिपत्र जारी होने की तारीख 28 जून 1997 से एक वर्ष की अवधि के भीतर, सीमा से अधिक ऋण को निर्धारित सीमा के भीतर लाकर विनिर्देश का अनुपालन करना अपेक्षित था तथा ऐसे मामले निदेशक मंडल की जानकारी में लाने थे।

2. व्याप्ति तथा प्रयोज्यता

- 2.1 एक्सपोजर मानदंड पुनर्वित्त संस्थाओं (यथा नाबार्ड, राष्ट्रीय आवास बैंक और सिडबी) पर भी लागू हैं, किन्तु यह देखते हुए कि पुनर्वित्त कार्य इन संस्थाओं का मूलभूत कार्य है, उनके पुनर्वित्त संविभाग पर ये एक्सपोजर मानदंड लागू नहीं होते हैं। तथापि, विवेकशीलता की दृष्टि से पुनर्वित्त संस्थाओं को भी यह परामर्श दिया गया है कि वे अपने पुनर्वित्त संविभाग के संबंध में भी अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से स्वयं अपनी ऋण एक्सपोजर सीमाएँ तैयार करें। इन सीमाओं को अन्य मदों के साथ-साथ संस्था की पूंजी निधियों /विनियामक पूंजी से भी संबद्ध किया जाना चाहिए। यदि इन सीमाओं से किसी प्रकार की रियायत/अपवाद की अनुमति दी जाए तो वह बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से ही दी जानी चाहिए।
- 2.2 एकल उधारकर्ता/समूह उधारकर्ता सीमा के अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए एकल उधारकर्ता /समूह उधारकर्ता के प्रति एक्सपोजर की गणना करते समय उन एक्सपोजर को छोड़ दिया जाए जहां मूलधन तथा ब्याज भारत सरकार द्वारा पूर्णतः गारंटीकृत हैं।
- 2.3 ये मानदंड केवल एकल उधारकर्ता तथा समूह उधारकर्ता एक्सपोजर के ही संबंध में हैं तथा किसी क्षेत्र विशेष/उद्योग विशेष के एक्सपोजर के संबंध में नहीं हैं। अतः वित्तीय संस्थाएं किसी विशिष्ट क्षेत्र यथा वस्त्र, रसायन, इंजीनियरी आदि के लिए समग्र वचनबद्धताओं के लिए आंतरिक सीमाएं निर्धारित करने पर विचार कर सकती हैं ताकि एक्सपोजर समान रूप से विभाजित हो। ये सीमाएं विभिन्न क्षेत्रों के निष्पादन तथा संभावित जोखिम को ध्यान में रख कर निर्धारित की जानी चाहिए। इस प्रकार निर्धारित की गई सीमाओं की आवधिक अंतराल पर समीक्षा की जानी चाहिए तथा आवश्यक हो तो उनमें संशोधन किया जाना चाहिए।

2.4 ये शर्तें सभी उधारकर्ताओं पर लागू होंगी। तथापि, जहाँ तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का संबंध है, केवल एकल उधारकर्ता एक्सपोजर सीमा लागू होगी।

2.5 ये मानदंड कई वर्षों में विकसित हुए हैं तथा वित्तीय संस्थाओं पर लागू ऋण एक्सपोजर मानदंडों के विभिन्न पहलुओं का विवरण आगे के पैराग्राफ में दिया गया है।

3. परिभाषाएं

3.1 'पूंजी निधियाँ' :

पिछले वर्ष की 31 मार्च (राष्ट्रीय आवास बैंक के मामले में 30 जून) को यथा विद्यमान, किसी वित्तीय संस्था की कुल विनियामक पूंजी (अर्थात् टीयर 1 + टीयर 2 पूंजी), जिसकी गणना भारतीय रिज़र्व बैंक के पूंजी पर्याप्तता मानदंडों के अनुसार की गई हो, एक्सपोजर मानदंडों के प्रयोजनार्थ "पूंजी निधि" होगी।

("पूंजी निधि" की उपर्युक्त परिभाषा 1 अप्रैल 2002 से लागू हुई। इस तारीख से एक्सपोजर की सीमा की निगरानी 31 मार्च 2002 को विद्यमान पूंजी निधियों की संशोधित परिभाषा के संदर्भ में की जानी थी। इस तारीख के पहले पूंजी निधियां प्रकाशित लेखों के अनुसार (प्रदत्त पूंजी + निर्बंध आरक्षित निधियां) के रूप में परिभाषित थी। किन्तु इसमें अचल आस्तियाँ आदि के पुनर्मूल्यन के जरिए सृजित आरक्षित निधियों को सम्मिलित नहीं किया जाता था।)

3.2 'बुनियादी सुविधा (इन्फ्रस्ट्रक्चर) परियोजनाएं' / 'बुनियादी सुविधा ऋण' :

वित्तीय संस्थाओं द्वारा किसी बुनियादी सुविधा के लिए निम्न वर्णित में से किसी भी रूप में प्रदत्त कोई भी ऋण सुविधा "बुनियादी सुविधा ऋण" की परिभाषा के अंतर्गत आती है। अन्य शब्दों में यह ऐसी ऋण सुविधा है जो निम्नलिखित कार्यकलाप करने वाली उधारकर्ता कंपनी को प्रदान की गई है :

- विकास करना अथवा
- परिचालन तथा रखरखाव करना अथवा
- विकास, परिचालन तथा रखरखाव करना

जो निम्नलिखित में से किसी क्षेत्र की परियोजना है :

- i) टोल सड़क सहित सड़क, पुल अथवा कोई रेल प्रणाली;
- ii) राजमार्ग (हाइवे) परियोजना के अभिन्न भाग के रूप में अन्य कार्यकलाप सहित कोई राजमार्ग परियोजना;
- iii) कोई बंदरगाह, विमान तल, अंतर्देशीय जलमार्ग अथवा अंतर्देशीय बंदरगाह;
- iv) कोई जल आपूर्ति परियोजना, सिंचाई परियोजना, जल शुद्धि प्रणाली, सेनीटेशन तथा सीवरेज प्रणाली अथवा घन कचरा प्रबंधन प्रणाली;

- v) दूर संचार सेवा, चाहे वह बेसिक हो या सेल्यूलर, जिसमें रेडियो पेजिंग, घरेलू सेटेलाइट सेवा (अर्थात् किसी भारतीय कंपनी द्वारा दूर संचार सेवा प्रदान करने के लिए स्वाधिकृत तथा परिचालित सेटेलाइट), ट्रंकिंग नेट वर्क, ब्रॉडबैंड नेटवर्क और इंटरनेट सेवाएं शामिल हैं;
- vi) कोई औद्योगिक पार्क अथवा विशेष आर्थिक क्षेत्र;
- vii) बिजली उत्पादन अथवा उसका उत्पादन एवं वितरण;
- viii) नई ट्रांसमिशन अथवा वितरण लाइनों का नेटवर्क डालकर बिजली का ट्रांसमिशन अथवा वितरण;
- ix) इसी प्रकार की कोई अन्य बुनियादी सुविधा।

3.3 'समूह' उधारकर्ता:

"समूह" की अवधारणा तथा किसी विशिष्ट औद्योगिक समूह के अंतर्गत आने वाले उधारकर्ता की पहचान का कार्य वित्तीय संस्था के अनुभव पर आधारित होना चाहिए। यह देखा गया है कि वित्तीय संस्थाएं सामान्यतः जोखिम आस्तियों के प्रति अपने एक्सपोजर को विनियमित करने की दृष्टि से अपने ग्राहकवर्ग की मूलभूत संरचना से परिचित होती हैं। अतः अपने पास उपलब्ध संगत जानकारी के आधार पर उन्हें ही यह निर्णय करना चाहिए कि विशिष्ट उधारकर्ता इकाई किस समूह के अंतर्गत आती है। प्रबंधन की समानता तथा कारगर नियंत्रण इस संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत रहेगा।

3.4 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संबंध में निवल स्वाधिकृत निधियां:

निवल स्वाधिकृत निधि के अंतर्गत चुकता ईक्विटी पूंजी, निर्बंध आरक्षित निधियां, शेयर प्रीमियम खाते में शेष राशि तथा पूंजी आरक्षित निधि, जो कि आस्तियों की बिक्री से प्राप्त आय से उत्पन्न अधिशेष (सरप्लस) राशि दर्शाती है, शामिल हैं किंतु इसमें आस्तियों के पुनर्मूल्यन के जरिए सृजित आरक्षित निधियाँ सम्मिलित नहीं हैं। स्वाधिकृत निधियों का निर्धारण करने के लिए समय मद्दों में से संचित हानि की शेष राशि तथा अमूर्त आस्तियों का बही मूल्य यदि कोई हो, की राशि घटाई जाएगी। निवल स्वाधिकृत निधि का निर्धारण करने के लिए अन्य गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के शेयरों तथा समूह की कंपनियों के शेयरों तथा डिबेंचरों में ऊपर उल्लिखित स्वाधिकृत निधि के दस प्रतिशत से अधिक के निवेश को घटाया जाएगा। निवल स्वाधिकृत निधियों की गणना पिछले लेखा परीक्षित तुलन-पत्र के आधार पर की जानी चाहिए तथा तुलन-पत्र की तारीख के पश्चात जुटाई गई किसी पूंजी को निवल स्वाधिकृत निधि की गणना के लिए हिसाब में नहीं लिया जाना चाहिए।

4. एक्सपोजर सीमाएं

4.1 एकल/व्यक्ति उधारकर्ताओं के लिए

किसी एकल उधारकर्ता के प्रति ऋण एक्सपोजर वित्तीय संस्था की पूंजी निधि के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। तथापि, एक्सपोजर अतिरिक्त पांच प्रतिशत अंक (अर्थात् 20 प्रतिशत तक) बढ़ सकता है बशर्ते, अतिरिक्त ऋण एक्सपोजर बुनियादी सुविधा परियोजनाओं की वजह से हो। अपवाद की परिस्थितियों में वित्तीय संस्थाएं अपने-अपने निदेशक मंडलों की अनुमति से किसी उधारकर्ता के प्रति एक्सपोजर में पूंजी निधि के 5 प्रतिशत तक की और वृद्धि (अर्थात् बुनियादी सुविधा परियोजनाओं के लिए पूंजी निधियों के 25 प्रतिशत तथा अन्य परियोजनाओं के लिए 20 प्रतिशत) पर विचार कर सकती हैं।

4.2 समूह उधारकर्ताओं के लिए

किसी समूह से संबंधित उधारकर्ता के प्रति ऋण एक्सपोजर वित्तीय संस्था की पूंजी निधियों के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। तथापि, एक्सपोजर अतिरिक्त दस प्रतिशत अंक (अर्थात् 50 प्रतिशत तक) बढ़ सकता है बशर्ते, अतिरिक्त ऋण एक्सपोजर बुनियादी सुविधा परियोजनाओं की वजह से हो। अपवाद की परिस्थितियों में वित्तीय संस्थाएं अपने-अपने निदेशक मंडलों की अनुमति से किसी उधारकर्ता के प्रति एक्सपोजर में पूंजी निधि के 5 प्रतिशत तक की और वृद्धि (अर्थात् मूलभूत परियोजनाओं की पूंजी निधियों के 55 प्रतिशत और अन्य परियोजनाओं के लिए 45 प्रतिशत) पर विचार कर सकती हैं।

[1997 के प्रारंभ में निर्धारित की गई मूल एक्सपोजर सीमा अलग-अलग तथा समूह उधारकर्ताओं के लिए वित्तीय संस्था की पूंजी निधियों के क्रमशः 25 प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत थी। सितंबर 1997 में समूह उधारकर्ताओं के लिए 10 प्रतिशत अंक तक के अतिरिक्त एक्सपोजर (अर्थात् 60 प्रतिशत तक) की अनुमति दी गई बशर्ते अतिरिक्त ऋण एक्सपोजर बुनियादी सुविधा परियोजनाओं की वजह से हो (उस समय इसकी संकीर्ण परिभाषा के अंतर्गत केवल बिजली, दूर संचार, सड़क तथा बंदरगाह ही आते थे)। एक्सपोजर सीमा के 15 प्रतिशत के अंतर्राष्ट्रीय मानक के निकट पहुंचने की दृष्टि से नवंबर 1999 में व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के मामले में एक्सपोजर सीमा 1 अप्रैल 2000 से पूंजी निधियों के 25 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत कर दी गई। 31 अक्टूबर 1999 को जिन वित्तीय संस्थाओं के एक्सपोजर घटाई हुई 20 प्रतिशत की सीमा से अधिक थे उन्हें अनुमति दी गई कि वे अधिक से अधिक 31 अक्टूबर 2001 तक अपने एक्सपोजर घटा कर 20 प्रतिशत के स्तर तक ले आएं। जून 2001 में अलग-अलग तथा समूह उधारकर्ताओं के लिए एक्सपोजर सीमा 1 अप्रैल 2002 से 20 तथा 50 प्रतिशत से घटाकर क्रमशः 15 प्रतिशत तथा 40 प्रतिशत कर दी गई किंतु समूह उधारकर्ताओं के मामले में बुनियादी सुविधा-परियोजनाओं की वजह से 10 प्रतिशत अंक के अतिरिक्त जोखिम की अनुमति जारी रही। फ़रवरी 2003 में व्यक्ति उधारकर्ताओं के मामले में भी बुनियादी सुविधा परियोजनाओं की वजह से पांच प्रतिशत अंक तक के अतिरिक्त एक्सपोजर (अर्थात् 20 प्रतिशत तक) की अनुमति दी गई।]

4.3 पूरक (ब्रिज) ऋण/अंतरिम वित्त के लिए

4.3.1 23 जनवरी 1998 से वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रत्याशित ईक्विटी आगम /निर्गमों की जमानत पर पूरक ऋण प्रदान करने पर से प्रतिबंध हटा लिया गया। तदनुसार, अब से आगे वित्तीय संस्थाएं गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से इतर कंपनियों को भारत अथवा भारत से बाहर के सार्वजनिक निर्गमों की जमानत पर पूरक ऋण /अंतरिम वित्त प्रदान कर सकती हैं, जिसके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित किए अनुसार वित्तीय संस्था के बोर्ड को उपयुक्त दिशा-निर्देश निर्धारित करने चाहिए। तथापि, वित्तीय संस्थाओं द्वारा अधिकार (राइट्स) निर्गम की जमानत पर कोई अग्रिम नहीं देना चाहिए भले ही ऐसे अग्रिम की चुकौती का स्रोत कुछ भी हो।

4.3.2 वित्तीय संस्थाएं कंपनियों की ऐसी परियोजनाओं का कार्य प्रारंभ करने के लिए जिनके लिए औपचारिकताएं पूरी करनी शेष हैं, केवल उनकी अपनी प्रतिबद्धताओं की जमानत पर पूरक ऋण स्वीकृत कर सकती हैं न कि किन्हीं अन्य वित्तीय संस्थाओं/बैंकों की ऋण प्रतिबद्धता पर। तथापि वित्तीय संस्थाएं केवल ऐसे मामलों में किसी वित्तीय संस्था और/अथवा बैंक की वचनबद्धता की जमानत पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित शर्तें पूरी करने पर पूरक ऋण /अंतरिम वित्त स्वीकृत करने पर विचार कर सकती हैं जहां ऋणदात्री संस्था के समक्ष चल-निधि संबंधी अस्थायी संकट हो ।

4.3.3 ये प्रतिबंध वित्तीय संस्थाओं की सहायक संस्थाओं पर भी लागू होते हैं इसके लिए वित्तीय संस्थाओं को अपनी सहायक संस्थाओं को यथोचित अनुदेश जारी करने चाहिए।

4.4 कार्यशील पूंजी वित्त

वित्तीय संस्थाओं को बैंकों से ऋण सीमा सुविधा का उपभोग करने वाले उधारकर्ताओं को, सहायता संघ (कंसोर्टियम) अथवा बहु बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत ऐसी स्थिति में, अत्यधिक चयनित आधार पर कार्यशील पूंजी वित्त प्रदान करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, जब बैंक अस्थायी चलनिधि संकट के कारण संबंधित उधारकर्ताओं की ऋण संबंधी जरूरतों को पूरा करने की स्थिति में न हों। वित्तीय संस्थाओं को सहायता संघ के आधार पर बैंकों से ऋण सीमाओं का उपभोग करने वाले उधारकर्ताओं को अल्पावधि ऋण प्रदान करते समय इन दिशा-निर्देशों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे उधारकर्ताओं के मामले में, जिनकी कार्यशील पूंजी का वित्तपोषण बहु बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत किया गया हो, वित्तीय संस्था को और अधिक कार्यशील पूंजी वित्त के लिए उधारकर्ता के संबंध में विचार करने से पूर्व लेखा-परीक्षकों से ऐसा प्रमाण-पत्र प्राप्त करना चाहिए जिसमें पहले ही उधार ली गई निधियों का ब्यौरा हो।

4.5 परिक्रामी हामीदारी सुविधा

वित्तीय संस्थाओं को कारपोरेट एंटीटीज़ द्वारा जारी अल्पावधि अस्थिर दर नोट /बांडों या डिबेंचरों को परिक्रामी हामीदारी सुविधा प्रदान नहीं करनी चाहिए।

4.6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को ऋण

4.6.1 21 मई 1997 से सभी वित्तीय कंपनियों द्वारा समग्र रूप से ऐसी उपस्कर पट्टा तथा किराया खरीद कंपनियों तथा ऋण और निवेश कंपनियों को दिए गए ऋण के संबंध में निवल स्वाधिकृत निधियों के गुणज के रूप में लगाई गई परिमाणात्मक सीमाएं समाप्त कर दी गई हैं, जिन्होंने, पंजीयन, साख निर्धारण तथा विवेकपूर्ण मानदंड संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक की अपेक्षाएं पूरी की हैं तथा भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसा प्रमाणित किया है। ऐसी उपस्कर तथा किराया खरीद गैर-बैंकिंग कंपनियों के लिए भी जिन्होंने उपर्युक्त तीन शर्तें पूरी की हैं तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्रमाणित भी हैं, उधारी की समग्र सीमा (निवल स्वाधिकृत निधियों के दस गुना तक) समाप्त कर दी गई है। तथापि ऐसे ऋण एक ल तथा समूह उधार के जोखिम मानदंड के अनुपालन के अधीन होंगे।

4.6.2 उन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए जिन्होंने उपर्युक्त अपेक्षाएं पूरी नहीं की हैं तथा अवशिष्ट गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए सभी वित्तीय संस्थाओं से लिए गए कुल ऋण की समग्र सीमा निम्नानुसार है :

क्र. सं.	वित्तीय कंपनी की श्रेणी	सभी वित्तीय संस्थाओं से लिए गए उधार की समग्र सीमा
अ	<u>उपस्कर पट्टादायी/किराया खरीद वित्त कंपनियाँ</u>	
	क) साख निर्धारण अपेक्षाएं तथा विवेकपूर्ण मानदंड पूरा करने वाली पंजीकृत उपस्कर पट्टादायी/किराया खरीद कंपनियाँ	केवल वित्तीय संस्था द्वारा अभिदत्त अंतर कारपोरेट जमाराशियों को छोड़कर कोई सीमा नहीं। ये निवल स्वाधिकृत निधियों के दो गुने से अधिक नहीं होनी चाहिए।
	ख) पंजीकृत उपस्कर पट्टादायी/किराया खरीद कंपनियाँ जो या तो साख निर्धारण संबंधी या विवेकपूर्ण मानदंड संबंधी अपेक्षाएं पूरी करती हैं	अंतर कारपोरेट जमाराशियों के लिए निवल स्वाधिकृत निधियों के दो गुने की उप सीमा सहित निवल स्वाधिकृत निधियों के दस गुना
	ग) पंजीकृत उपस्कर पट्टादायी / किराया खरीद कंपनियाँ जो न तो साख निर्धारण संबंधी और न ही विवेकपूर्ण मानदंड संबंधी अपेक्षाएं पूरी करती हैं	अंतर कारपोरेट जमाराशियों के लिए निवल स्वाधिकृत निधियों के दो गुने की उप सीमा सहित निवल स्वाधिकृत निधियों के सात गुना
	घ) अन्य सभी उपस्कर पट्टादायी/किराया खरीद कंपनियाँ	अंतर कारपोरेट जमाराशियों के लिए निवल स्वाधिकृत निधियों के एक गुने की उप सीमा सहित निवल स्वाधिकृत निधियों के पांच गुना
आ	<u>ऋण और निवेश कंपनियाँ</u>	
	क) साख निर्धारण अपेक्षा तथा विवेकपूर्ण मानदंड पूरा करने वाली, पंजीकृत ऋण तथा निवेश कंपनियाँ	अंतर कारपोरेट जमाराशियों के लिए निवल स्वाधिकृत निधियों के दो गुने की अलग सीमा सहित निवल स्वाधिकृत निधियों के दो गुना
	ख) पंजीकृत ऋण तथा निवेश कंपनियाँ	अंतर कारपोरेट जमा राशियों के लिए निवल

	जो या तो साख निर्धारण संबंधी अपेक्षा या विवेकपूर्ण मानदंड पूरे करती हैं ।	स्वाधिकृत निधियों के दो गुने की अलग सीमा सहित निवल स्वाधिकृत निधियों के समतुल्य
	ग) पंजीकृत ऋण तथा निवेश कंपनियों जो न तो साख निर्धारण संबंधी अपेक्षा और न ही विवेकपूर्ण मानदंड संबंधी अपेक्षा पूरी करती हैं ।	अंतर कारपोरेट जमाराशियों के लिए निवल स्वाधिकृत निधियों के लिए दो गुने की अलग सीमा सहित निवल स्वाधिकृत निधियों का 40%
	घ) अन्य सभी ऋण तथा निवेश कंपनियों	अंतर कारपोरेट जमाराशियों के लिए निवल स्वाधिकृत निधियों के समतुल्य की अलग सीमा सहित निवल स्वाधिकृत निधियों का 40%
इ)	<u>अवशिष्ट गैर- बैंकिंग कंपनियाँ</u>	निवल स्वाधिकृत निधियों के समतुल्य

वित्तीय संस्थाओं को यह भी सूचित किया गया है कि वे गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए वित्त प्रदान न करें :

क) सामान्य ऋण सुरक्षा उपायों के अधीन हल्के वाणिज्य वाहनों सहित वाणिज्य वाहनों की बिक्री से उत्पन्न बिलों को छोड़कर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बट्टा किए /पुनर्बट्टा किए गए बिल;

ख) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा चालू स्वरूप के शेयरों, डिबेंचरों आदि में किए गए निवेश (अर्थात् शेयर आदि का कारोबार [स्टॉक इन ट्रेड]);

ग) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा सहायक संस्थाओं, समूह कंपनियों अथवा अन्य संस्थाओं में किए गए निवेश तथा उन्हें दिए गए अग्रिम, और

घ) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अन्य कंपनियों को/में तथा अंतर कारपोरेट ऋण/जमा में निवेश ।

साथ ही, यह सूचित किया जाता है कि वित्तीय संस्थाओं को किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (अवशिष्ट गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी सहित) के किसी भी वर्ग को किसी भी रूप में पूरक ऋण तथा पूरक स्वरूप के कोई ऋण स्वीकृत नहीं करने चाहिए । पूंजी /डिबेंचर निर्गमों की जमानत पर भी ऐसा ऋण स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए ।

4.7 ऋण प्रतिभूतियों में निवेश

पिछले वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार (राष्ट्रीय आवास बैंक के लिए 30 जून) ऋण प्रतिभूतियों में निवेश के लिए दिशा-निर्देश (अनुबंध 1) में दिये गये अनुसार, सूची में शामिल न की गयी ऋण प्रतिभूतियों में कुल निवेश वित्तीय संस्थाओं के कुल निवेश के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। तथापि, उपर्युक्त विवेकपूर्ण सीमाओं के अनुपालन की निगरानी करने के लिए निम्नलिखित लिखतों में किये गये निवेश की गणना 'सूची में शामिल न की गयी प्रतिभूतियों' के रूप में नहीं की जाएगी :

- (i) प्रतिभूतिकरण कंपनियों/वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हितों का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के उपबंधों के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदें (एसआर) तथा
- (ii) आस्ति समर्थित प्रतिभूतियों (एबीएस) तथा बंधक समर्थित प्रतिभूतियां (एमबीएस) जिनकी रेटिंग न्यूनतम निवेश श्रेणी के स्तर पर या उससे ऊपर की गई हो।

4.8 जोखिम पूंजी निधि में निवेश

वित्तीय संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि वे जोखिम पूंजी निधि के वित्तपोषण के संबंध में विवेकपूर्ण अपेक्षाओं का पालन करें जिन्हें अनुबंध 3 में दर्शाया गया है।

4.9 बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के बीच परस्पर पूंजी धारिता

- (i) अन्य बैंकों /वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी निवेशिती बैंक /वित्तीय संस्था की पूंजी स्तर के लिए पात्र निम्नलिखित लिखतों में वित्तीय संस्थाओं द्वारा निवेश तथा निवेशक वित्तीय संस्था की पूंजी निधि (टीयर I तथा टीयर II) के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए :

- क. इक्विटी शेयर;
- ख. पूंजी स्तर के लिए पात्र अधिमान शेयर;
- ग. गौण ऋण लिखत; तथा
- घ. मिश्र ऋण पूंजी लिखत; और
- ड. पूंजी के रूप में अनुमोदित अन्य कोई लिखत

वित्तीय संस्थाओं को किसी बैंक/वित्तीय संस्था में कोई नया हित (स्टेक) अर्जित नहीं करना चाहिए, यदि ऐसे अर्जन से निवेशक वित्तीय संस्था की धारिता निवेशिती बैंकों /वित्तीय संस्थाओं की इक्विटी पूंजी के 5 प्रतिशत से अधिक हो जाए।

- (ii) वित्तीय संस्थाओं द्वारा सहायक कंपनियों की इक्विटी पूंजी में किया गया निवेश वर्तमान में पूंजी पर्याप्तता के उद्देश्य के लिए उनकी टीयर I पूंजी से घटाया जाता है। उपर्युक्त पैराग्राफ 4.8(i) में सूचीबद्ध बैंक/वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी लिखतों में निवेश पर, जिसे निवेशक वित्तीय संस्था की टीयर I पूंजी से घटाया नहीं जाता है, पूंजी पर्याप्तता प्रयोजन हेतु ऋण जोखिम के लिए 100 प्रतिशत जोखिम भार लागू होगा।

4.10 एक्सपोजर का स्तर

- 4.10.1 एक्सपोजर के स्तर का निर्धारण करने के लिए निधिक अथवा गैर-निधिक सुविधाओं के संबंध में स्वीकृत सीमाएं अथवा बकाया में से जो भी उच्च होगा उसकी गणना की जाएगी। "ऋण एक्सपोजर" के अंतर्गत निधिक तथा गैर-निधिक ऋण सीमाएं, हामीदारी तथा इसी प्रकार की अन्य प्रतिबद्धताएं सम्मिलित होंगी। इस प्रयोजन के लिए डेरिवेटिव उत्पादों के कारण होने वाले जोखिम की भी गणना की जाएगी।

4.10.2 तथापि, मीयादी ऋणों के मामले में एक्सपोजर के स्तर की गणना वास्तविक बकाया तथा असंवितरित अथवा अनाहरित प्रतिबद्धताओं के आधार पर की जाएगी। तथापि ऐसे मामलों में जहाँ संवितरण अभी शुरू नहीं किया है वहाँ एक्सपोजर के स्तर की गणना स्वीकृत सीमा के आधार पर अथवा वित्तीय कंपनी का उधार देने वाली कंपनी के साथ हुए करार की शर्तों में जिस सीमा तक प्रतिबद्ध है उस आधार पर की जाएगी।

(एक्सपोजर मानदंडों के आरंभ से एक्सपोजर के स्तर के निर्धारण के लिए गैर-निधिक सीमाओं के मात्र 50 प्रतिशत को ही गणना में शामिल किया जाना अपेक्षित था। तथापि, 1 अप्रैल 2003 से अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप निधिक तथा गैर-निधिक, दोनों एक्सपोजर की गणना 100 प्रतिशत मूल्य के आधार पर की जानी अपेक्षित है।)

4.10.3 ऋण एक्सपोजर का स्तर निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित लिखतों को भी शामिल किया जाना चाहिए :

i) अग्रिम के रूप में बांड तथा डिबेंचर : बांडों तथा डिबेंचरों को उस स्थिति में अग्रिम के रूप में माना जाना चाहिए जब ;

- डिबेंचर/बांड परियोजना वित्तपोषण के प्रस्ताव के एक भाग के रूप में जारी किए गए हैं तथा डिबेंचर/बांड की अवधि तीन-वर्ष तथा इससे अधिक है।

तथा

- निर्गम में वित्तीय संस्था की उल्लेखनीय भागीदारी (स्टेक) (अर्थात् 10% अथवा अधिक) है।

तथा

- निर्गम निजी तौर पर शेयर आबंटन अर्थात् जहाँ उधारकर्ता ने वित्तीय संस्था से संपर्क किया है, का एक भाग है और न कि सार्वजनिक निर्गम का जहाँ वित्तीय संस्था ने आमंत्रण के प्रत्युत्तर में अभिदान किया है।

(ii) अग्रिम के रूप में अधिमान शेयर: परिवर्तनीय अधिमान शेयरों से भिन्न अधिमान शेयर जो परियोजना वित्तपोषण के एक अंग के रूप में अर्जित हों तथा उपर्युक्त (i) मानदंड पूरा करते हों;

(iii) जमाराशियां : वित्तीय संस्थाओं द्वारा कारपोरेट क्षेत्र में रखी गई जमा राशियां।

4.10.4 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संबंध में एक्सपोजर के स्तर की गणना करते समय निजी तौर पर आबंटित डिबेंचरों में किए गए निवेश को शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन जो द्वितीयक बाजार से अर्जित किए गए हों, उन्हें शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

4.10.5 डेरिवेटिव उत्पादों में एक्सपोजर की माप

1 अप्रैल 2003 से वित्तीय संस्थाओं के लिए यह अपेक्षित है कि वे व्यक्ति/समूह उधारकर्ता ऋण एक्सपोजर का निर्धारण करते समय निम्नलिखित दिशा-निर्देशों के अनुसार गैर-निधिक ऋण सीमा, विदेशी मुद्रा तथा अन्य डेरिवेटिव उत्पादों, जैसे मुद्रा स्वैप, आप्शन में वायदा संविदाओं आदि को उनकी प्रतिस्थापन लागत पर शामिल करें।

4.10.5.1 प्रतिस्थापन लागत की गणना विधि

डेरिवेटिव में निहित ऋण एक्सपोजर की माप की दो विधियां हैं, जो निम्नानुसार हैं :

क. मूल एक्सपोजर विधि

इस विधि के अंतर्गत, जो कि एक सरल विकल्प है, किसी डेरिवेटिव उत्पाद के ऋण जोखिम (क्रेडिट रिस्क) एक्सपोजर की गणना डेरिवेटिव लेन-देन की शुरुआत में ही नोशनल मूल राशि से निर्धारित ऋण परिवर्तन गुणक (क्रेडिट कन्वर्शन फ़ैक्टर्स) के गुणन के आधार पर की जाती है। तथापि, इस विधि में किसी व्युत्पन्नी संविदा के चालू बाजार मूल्य को गणना में नहीं लिया जाता जो कि भिन्न समय पर भिन्न-भिन्न हो सकता है। इस पद्धति के अंतर्गत ऋण समतुल्य राशि प्राप्त करने के लिए वित्तीय संस्था को प्रत्येक लिखत के स्वरूप तथा इसकी मूल परिपक्वता के आधार पर प्रत्येक लिखत की नोशनल मूल राशि पर निम्नलिखित ऋण परिवर्तन गुणक (क्रेडिट कन्वर्शन फैक्टर) लागू करना चाहिए;

मूल परिपक्वता अवधि	नोशनल मूल राशि पर लागू किया जाने वाला ऋण परिवर्तन गुणक	
	ब्याज दर संविदा	विनिमय दर संविदा
एक वर्ष से कम	0.5%	2.0%
एक वर्ष तथा दो वर्ष से कम	1.0%	5.0% (2% +3%)
प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिए	1.0%	3.0%

ख. वर्तमान एक्सपोजर विधि

इस विधि के अंतर्गत डेरिवेटिव उत्पादों का क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर/ऋण समतुल्य राशि की गणना इसकी वर्तमान प्रतिस्थापन लागत का पता लगाने के लिए इसके बाजार मूल्य के आधार पर आवधिक रूप से की जाती है। इस प्रकार तुलन पत्र से इतर ब्याज दर तथा विनिमय दर लिखतों की ऋण समतुल्य राशि (क्रेडिट इक्विवैलेंट) निम्नलिखित दो घटकों का जोड़ होगी :

- (क) सभी धनात्मक (पोजिटिव) मूल्य वाली संविदाओं (अर्थात् जब वित्तीय संस्था को प्रतिपक्षी से धन मिलना है) की "बाजार भाव के आधार पर (मार्क टु मार्केट)" प्राप्त कुल 'प्रतिस्थापन लागत'; तथा
- (ख) "संभाव्य भावी एक्सपोजर" की राशि - इसकी गणना संविदा की नोशनल मूल राशि से संविदा की शेष परिपक्वता अवधि के अनुसार नीचे दिये गये ऋण परिवर्तन घटकों के गुणन के आधार पर की जाएगी :

अवशिष्ट परिपक्वता अवधि	नोशनल मूल राशि पर लागू किया जाने वाला ऋण परिवर्तन गुणक	
	ब्याज दर संविदा	विनिमय दर संविदा
एक वर्ष से कम	शून्य	1.0%
एक वर्ष तथा उससे अधिक	0.5%	5.0%

वर्तमान एक्सपोजर विधि के अंतर्गत वित्तीय संस्थाओं को चाहिए कि वे डेरिवेटिव उत्पादों को कम से कम मासिक आधार पर बाजार भाव पर निर्धारित करें तथा वे डेरिवेटिव उत्पाद का बाजार भाव के आधार पर मूल्य निकालने की अपनी आंतरिक विधि अपना सकते हैं। तथापि, वित्तीय संस्था के लिए अपेक्षित नहीं है कि वह एकल मुद्रा फ्लोटिंग/ फ्लोटिंग ब्याज दर स्वैप के लिए संभाव्य ऋण एक्सपोजर की गणना करें। इन संविदाओं पर ऋण जोखिम की गणना उनके बाजार भाव के आधार पर निर्धारित मूल्य के आधार पर ही की जाएगी।

4.10.5.2 वित्तीय संस्थाओं को 1 अप्रैल 2003 से प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे वर्तमान एक्सपोजर विधि अपनाएं, जो व्यक्ति/समूह उधारकर्ता एक्सपोजर के निर्धारण के लिए किसी डेरिवेटिव उत्पाद की ऋण एक्सपोजर माप की सही विधि है। उन मामलों में जहाँ वित्तीय संस्था वर्तमान एक्सपोजर विधि अपनाने की स्थिति में नहीं है वह मूल एक्सपोजर विधि अपना सकती है। तथापि, यथासमय वर्तमान एक्सपोजर विधि अपनाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

टिप्पणी : वर्तमान पूंजी पर्याप्तता मानदंड के अंतर्गत सीआरएआर गणना के लिए तुलन-पत्र से इतर मदों में डेरिवेटिव उत्पादों में वित्तीय संस्था के ऋण एक्सपोजर भी प्रतिबिंबित होते हैं, जिसके लिए पूंजी पर्याप्तता मानदंड में 'मूल एक्सपोजर विधि' (ओरिजनल एक्सपोजर मेथड) निर्धारित की गई है। तथापि, वित्तीय संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे 1 अप्रैल 2003 से सीआरएआर की गणना के लिए भी वर्तमान एक्सपोजर विधि अपनाएं।

4.11. सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा गारंटीकृत बांडों के संबंध में एक्सपोजर

4.11.1 बैंकों द्वारा कंपनियों के ऐसे बांडों तथा डिबेंचरों में किए गए निवेश जो अनुबंध 2 में सूचीबद्ध सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा गारंटी प्राप्त हैं, बैंक के सार्वजनिक वित्तीय संस्था के प्रति एक्सपोजर माने जाएंगे न कि संबंधित कंपनी के प्रति। किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्था द्वारा कंपनियों के बांडों के संबंध में जारी गारंटियों को कंपनी के प्रति सार्वजनिक वित्तीय संस्था का एक्सपोजर माना जाएगा जबकि कारपोरेट गारंटी देने वाली सार्वजनिक वित्तीय संस्था पर बैंक का एक्सपोजर निवेश का 100 प्रतिशत होगा। प्रारंभ में, कारपोरेट के प्रति सार्वजनिक वित्तीय संस्था के एक्सपोजर, गैर-निधिक ऋण जोखिम होने की वजह से उनकी गणना गारंटियों के मूल्य के 50 प्रतिशत की सीमा तक किया जाना अपेक्षित था, किंतु 1 अप्रैल, 2003 से ऐसे एक्सपोजर की गणना भी ऐसी गारंटियों के मूल्य के 100 प्रतिशत पर किया जाना अपेक्षित है।

4.11.2 सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं के लिए यह भी अपेक्षित है कि वे बांडों/डिबेंचरों की गारंटी देने के पहले गारंटी प्रदत्त इकाई की वित्तीय प्रणाली के प्रति समग्र एक्सपोजर को भी ध्यान में रखें।

4.12 वित्तीय संस्थाओं द्वारा बैंकों की गारंटी पर दिए गए ऋणों के संबंध में अपनाई जानेवाली व्यवस्था

4.12.1 बैंकों को अनुमति है कि वे बुनियादी सुविधा परियोजनाओं के मामले में अन्य ऋणदात्री संस्थाओं के पक्ष में गारंटी जारी कर सकते हैं, बशर्ते गारंटी देने वाला बैंक बुनियादी सुविधा परियोजना में, परियोजना लागत की कम से कम पांच प्रतिशत सीमा तक निधि लगाए तथा परियोजना के सामान्य ऋण मूल्यांकन, निगरानी तथा अनुवर्ती कार्रवाई का जिम्मा ले। एक्सपोजर मानदंडों के प्रयोजनार्थ समूचा ऋण संव्यवहार उधारकर्ता पर एक्सपोजर माना जाना चाहिए न कि ऋण की गारंटी देने वाले बैंक पर, ताकि ऋण संकेद्रण की मात्रा सही ढंग से परिलक्षित हो सके। उन मामलों में जहाँ निधिक सुविधा मीयादी ऋण के रूप में हो वहाँ एक्सपोजर के स्तर की गणना निम्नानुसार की जानी चाहिए :

- संवितरण प्रारंभ होने के पूर्व, स्वीकृत सीमा अथवा करार के अनुसार वित्तीय संस्था जिस सीमा तक उधारकर्ता के साथ वचनबद्ध है, जैसा भी मामला हो, उस सीमा तक एक्सपोजर माना जाएगा।
- संवितरण प्रारंभ होने के पश्चात, समग्र बकाया राशि तथा असंवितरित अथवा अनाहरित प्रतिबद्धता के जोड़ को एक्सपोजर माना जाएगा।

4.13 रिपोर्टिंग प्रणाली

प्रतिवर्ष जून माह के अंत में एक्सपोजर प्रबंध उपायों के कार्यान्वयन की समीक्षा निदेशक बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। समीक्षा की एक प्रति मुख्य महाप्रबंधक, वित्तीय संस्था निगरानी प्रभाग, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, विश्व व्यापार केंद्र, कफ् परेड, कोलाबा, मुंबई -400 005 को सूचनार्थ भेजी जाए।

4.14 समेकित वित्तीय प्रणाली

एकल अस्तित्व वाली कंपनियों के एक्सपोजर पर विवेकपूर्ण सीमाओं के अतिरिक्त, बेहतर जोखिम प्रबंध के लिए तथा ऋण जोखिम के संकेद्रण से बचने के लिए विवेकपूर्ण उपाय रखने के उद्देश्य से वित्तीय संस्थाओं को **समूह-विस्तार स्तर** पर 1 अप्रैल 2003 से प्रारंभ होनेवाले वर्ष से (राष्ट्रीय आवास बैंक के मामले में 1 जुलाई 2003 से) निरंतर आधार पर निम्नलिखित विवेकपूर्ण सीमाओं का पालन करना चाहिए :

समूह स्तर पर एकल उधारकर्ता एक्सपोजर	समूह की पूंजी निधि का 15 प्रतिशत
	समूह की पूंजी निधि के 20 प्रतिशत तक, बशर्ते 5 प्रतिशत प्वाइंट तक अतिरिक्त ऋण जोखिम बुनियादी परियोजनाओं के वित्तपोषण के प्रयोजन के लिए हो ।
समूह स्तर पर समूह उधारकर्ता एक्सपोजर	समूह की पूंजी निधि का 40 प्रतिशत
	समूह की पूंजी निधि के 50 प्रतिशत तक, बशर्ते 10 प्रतिशत प्वाइंट तक अतिरिक्त एक्सपोजर बुनियादी परियोजनाओं के वित्तपोषण के प्रयोजन के लिए हो ।

एक्सपोजर मानदंडों के प्रयोजन के लिए समूह की 'पूंजी निधि' वही होगी जो समूह-विस्तार पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजन के लिए हिसाब में ली गयी हो। समूह स्तर पर ऋण एक्सपोजर की गणना उसी प्रकार की जाए जैसा कि वित्तीय कंपनियों के लिए एकल आधार पर निर्धारित की गई है ।

4.15 प्रकटीकरण

वित्तीय संस्थाओं को उन एक्सपोजरों के संबंध में वार्षिक वित्तीय विवरणों के "लेखे पर टिप्पणियां" में समुचित प्रकटीकरण करने चाहिए जहां वित्तीय संस्था ने वर्ष के दौरान विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमाओं से अधिक एक्सपोजर किए हैं।

=====

गैर-सरकारी ऋण प्रतिभूतियों में चुनिंदा अखिल भारतीय
वित्तीय संस्थाओं द्वारा निवेश से संबंधित दिशानिर्देश

1. व्याप्ति (कवरेज)

1.1 शामिल निवेश

1.1.1 ये दिशा-निर्देश वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्राथमिक बाजार (सरकारी निर्गम तथा निजी तौर पर शेयर आबंटन) तथा द्वितीयक बाजार दोनों में निम्नलिखित श्रेणियों के ऋण लिखतों में निवेशों के संबंध में लागू होते हैं :-

- क) कंपनियों, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, राज्य सरकारों और केंद्र सरकार प्रायोजित संस्थाओं, विशेष प्रयोजन के लिए बनी संस्थाओं (एसपीवी) आदि; द्वारा निर्गमित ऋण लिखत, (डेट इन्स्ट्रुमेंट);
- ख) केंद्र अथवा राज्य के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा निर्गमित सरकारी गारंटी या बिना सरकारी गारंटी के ऋण लिखत/बांड;
- ग) म्युच्युअल फंड, अर्थात् वे योजनाएं जिनका अधिकांश हिस्सा (कॉरपस) ऋण प्रतिभूतियों में निवेश किया गया है, की ऋण अभिमुखी योजनाओं के यूनिट;
- घ) पूंजी लाभयुक्त बांड तथा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र का दर्जा पाने के लिए पात्र बांड ।

1.2 शामिल न किए गए निवेश

1.2.1 तथापि, ये दिशा-निर्देश वित्तीय संस्थाओं के निवेशों की निम्नलिखित श्रेणियों पर लागू नहीं है :

- क) सरकारी प्रतिभूतियां और श्रेष्ठ (गिल्ट) निधियों के यूनिट;
- ख) भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान विवेकपूर्ण मानदंडों के अंतर्गत अग्रिम के स्वरूप की प्रतिभूतियां;
- ग) म्युच्युअल फंड की ईक्विटी अभिमुखी योजनाओं के यूनिट; अर्थात् वे योजनाएं जिनमें उनकी मूल निधि (कॉरपस) का अधिकांश हिस्सा ईक्विटी शेयरों में निवेश किया गया हो,
- घ) "संतुलित निधियों" के यूनिट जो ऋण और ईक्विटी दोनों ही में निवेश करती हैं, बशर्ते मूल निधि (कॉरपस) का अधिकांश हिस्सा ईक्विटी शेयरों में निवेश किया गया हो। उक्त निधि (फंड) द्वारा ऋण प्रतिभूतियों में निवेशों की प्रधानता होने के मामले में ये दिशा-निर्देश लागू होंगे;
- ङ) जोखिम पूंजी (वेन्चर कैपिटल) निधियों के यूनिट और मुद्रा बाजार म्युच्युअल फंड;
- च) वाणिज्य पत्र; तथा
- छ) जमा प्रमाण पत्र।

2. प्रभावी होने की तारीख तथा संक्रमण काल

यद्यपि ये दिशा-निर्देश 1 अप्रैल 2004 से प्रभावी होंगे लेकिन इसे ध्यान में रखते हुए कि ऋण प्रतिभूतियों के निर्गमकर्ताओं को स्टाक एक्सचेंजों पर अपने वर्तमान सूची में शामिल न किये गये ऋण निर्गमों को सूचीबद्ध करने के लिए समय की आवश्यकता होगी; निम्नलिखित संक्रमण काल प्रदान किया जा रहा है :

- क) म्युच्युअल फंड योजनाओं, जिसमें पूरा हिस्सा (कॉरपस) गैर-सरकारी ऋण प्रतिभूतियों में निवेश किया गया हो, के यूनिटों में किये गये निवेश 31 दिसंबर 2004 तक उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के दायरे से बाहर रहेंगे। तदनंतर, ऐसे निवेशों पर भी ये दिशा-निर्देश लागू होंगे।
- ख) 1 जनवरी 2005 से, म्युच्युअल फंड की ऐसी योजनाओं के यूनिटों में निवेश, जिसमें उक्त योजना के हिस्से (कॉरपस) की सूचीबद्ध न किये गये ऋण प्रतिभूतियों में 10 प्रतिशत से कम एक्सपोजर हो, को नीचे पैरा 6 में निर्दिष्ट विवेकपूर्ण सीमाओं के प्रयोजन के लिए सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के समान माना जाएगा। इस प्रकार, 31 दिसंबर 2004 तक ऐसे यूनिटों में किये गए निवेशों पर विवेकपूर्ण सीमाएं लागू होंगी।
- ग) 1 जनवरी 2005 से, इन दिशा-निर्देशों में कवर की गई, सूचीबद्ध न की गयी प्रतिभूतियों में नए निवेश (निर्धारित विवेकपूर्ण सीमाओं तक) के लिए केवल वे वित्तीय कंपनियां पात्र होंगी जिनके निवेश ऐसी प्रतिभूतियों में निर्धारित विवेकपूर्ण सीमाओं के भीतर होंगे।

3. परिभाषाएं

3.1 श्रेणीकृत (रेटेड) प्रतिभूतियां :

किसी प्रतिभूति को श्रेणीकृत (रेटेड) प्रतिभूति तभी माना जायेगा यदि उसपर भारत स्थित किसी ऐसी बाहरी रेटिंग एजेन्सी द्वारा विस्तृत रेटिंग किया गया हो जो सेबी के पास पंजीकृत है और वर्तमान या वैध रेटिंग करने का काम कर रही है। रेटिंग पर निर्भरता तभी वर्तमान या वैध मानी जाएगी यदि :

- (i) निर्गम खुलने की तारीख को वह साख निर्धारण पत्र जिस पर भरोसा किया गया है, एक महीने से अधिक पुराना न हो; तथा
- (ii) निर्गम खुलने की तारीख को रेटिंग एजेन्सी का रेटिंग औचित्य एक वर्ष से पुराना न हो तथा,
- (iii) रेटिंग पत्र तथा रेटिंग औचित्य ऑफर दस्तावेज का हिस्सा हो।
- (iv) द्वितीयक बाजार से अभिग्रहण के मामले में, निर्गम का साख निर्धारण विद्यमान होना चाहिए तथा संबंधित रेटिंग एजेन्सी द्वारा प्रकाशित मासिक बुलेटिन से इसकी पुष्टि की जानी चाहिए।

3.2 बगैर रेटिंग की प्रतिभूति : जिन प्रतिभूतियों की किसी बाहरी एजेन्सी द्वारा वर्तमान और वैध रेटिंग न की गई हो उन्हें बगैर रेटिंग की प्रतिभूतियां माना जाएगा।

3.3 सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूति : यह वह प्रतिभूति है जो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होती है, यदि सूचीबद्ध नहीं है तो वह 'सूचीबद्ध न की गयी' ऋण प्रतिभूति होगी।

3.4 अनर्जक निवेश (एनपीआई) : इन दिशा-निर्देशों के सीमित प्रयोजन के लिए अनर्जक निवेश (अनर्जक आस्तियों के जैसे) वे हैं जिनमें :

- i) निर्धारित/पूर्वनिर्धारित आय प्रतिभूतियों के मामले में ब्याज/ मूलधन/अधिमान शेयरों (परिपक्वता आगम राशि सहित) पर निर्धारित लाभांश देय हो तथा 180 दिनों से अधिक समय के लिए अदत्त रहा हों ।
- ii) नवीनतम तुलन-पत्र उपलब्ध न होने के कारण किसी कंपनी के ईक्विटी शेयरों का मूल्यन (9 नवंबर 2000 के परिपत्र बैंपर्यवि. एफआईडी. सं. सी-9/01.02.00/ 2000-01 के अनुबंध के पैरा 26 में निहित अनुदेशों के अनुसार) 1 रुपया प्रति कंपनी किया गया है ।
- iii) वित्तीय संस्थाओं की बहियों में प्रतिभूति के निर्गमकर्ता द्वारा ली गई किसी ऋण सुविधा को यदि अनर्जक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो इनमें से किसी भी प्रतिभूति में उसी निर्गमकर्ता द्वारा किये गये निवेश को भी अनर्जक निवेश माना जाए ।

4. विनियामक अपेक्षाएं , आंतरिक मूल्यांकन तथा विवेकपूर्ण सीमाएं

4.1 विनियामक अपेक्षाएं

4.1.1 वित्तीय संस्थाओं को बगैर रेटिंग वाली ऋण प्रतिभूतियों में निवेश नहीं करना चाहिए बल्कि उन्हें सिर्फ, सेबी के पास पंजीकृत किसी साख रेटिंग एजेन्सी से न्यूनतम "निवेश ग्रेड रेटिंग" पाने वाली प्रतिभूतियों में ही निवेश करना चाहिए।

4.1.2 निवेश ग्रेड रेटिंग, भारत में कार्यरत किसी बाहरी रेटिंग एजेन्सी द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए, जिसकी पहचान भारतीय बैंक संघ (आईबीए)/निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न संघ; (एफआईएमएमडीए) द्वारा की गई हो। आईबीए/एफआईएमएमडीए ऐसी एजेन्सियों की सूची की वर्ष में कम से कम एक बार समीक्षा करेंगे ।

4.1.3 वाणिज्यिक पत्र तथा जमा प्रमाण पत्र, जिन पर रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देश लागू होते हैं, के अलावा वित्तीय संस्थाओं को किसी भी ऐसी ऋण प्रतिभूति में निवेश नहीं करना चाहिए जिनकी मूल परिपक्वता एक वर्ष से कम हो ।

4.1.4 ये दिशा-निर्देश जिन प्रतिभूतियों पर लागू नहीं होते उनमें किये जानेवाले निवेशों सहित ऋण प्रतिभूति के संबंध में वित्तीय संस्थाओं को आवश्यक सावधानी बरतनी चाहिए ।

4.1.5 वित्तीय संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऋण प्रतिभूतियों में ये सभी नए निवेश नीचे पैरा 6 में दर्शाई गई सीमा को छोड़कर सेबी की आवश्यकताओं का पालन करनेवाली कंपनियों की सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों में ही किए जाएं।

4.1.6 सूचीबद्ध न की गयी जिन ऋण प्रतिभूतियों में नीचे पैरा 6 में विनिर्दिष्ट सीमाओं तक वित्तीय संस्थाएं निवेश कर सकती हैं, वे रेटेड होनी चाहिए और सूचीबद्ध कंपनियों के लिए सेबी द्वारा निर्धारित प्रकटीकरण आवश्यकताओं का निर्गमकर्ता कंपनी को पालन करना चाहिए।

4.2. आंतरिक मूल्यांकन

4.2.1 चूंकि ऋण प्रतिभूतियां प्रायः ऋण के एवज में होती हैं, वित्तीय संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि :

- (i) इस तथ्य के बावजूद कि प्रस्तावित निवेश रेटेड प्रतिभूतियों में हो, वे ऋण प्रतिभूतियों से संबंधित अपने सभी निवेश प्रस्तावों का ऋण मूल्यांकन अपने ऋण प्रस्तावों के लिए निर्धारित मानकों के समान ही करें;
- (ii) वे अपना आंतरिक ऋण विश्लेषण करें और बाहरी रेटेड निर्गमों के संबंध में बाहरी रेटिंग एजेंसियों के रेटिंग पर पूरी तरह निर्भर न रहते हुए उनकी आंतरिक रेटिंग भी करें; तथा
- (iii) निर्गमकर्ताओं/निर्गमों के रेटिंग में अंतरण की लगातार निगरानी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, अपनी आंतरिक रेटिंग प्रणालियों को सशक्त करें और एक ऐसी प्रणाली विकसित करें, जिससे निर्गमकर्ता की वित्तीय स्थिति की नियमित (त्रैमासिक या अर्द्धवार्षिक) जानकारी प्राप्त की जा सके।

4.3 विवेकपूर्ण सीमाएं

4.3.1 सूचीबद्ध न की गयी ऋण प्रतिभूतियों में कुल निवेश, ऋण प्रतिभूतियों में वित्तीय संस्थाओं के कुल निवेश के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए, जो पिछले वर्ष के 31 मार्च (राष्ट्रीय आवास बैंक के मामले में 30 जून) की स्थिति के अनुसार इस दिशा-निर्देशों के दायरे में आता है। तथापि, निम्नलिखित लिखतों में किये निवेश को उपर्युक्त विवेकपूर्ण सीमाओं के अनुपालन की निगरानी के लिए "सूचीबद्ध न की गयी ऋण प्रतिभूतियों" के रूप में हिसाब में नहीं लिया जायेगा :

- (iii) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूतियों के ब्याज का प्रवर्तन (एसएआरएफएईएसआई) (सरफाएशी) अधिनियम, 2002 के उपबंधों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत प्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा निर्गमित प्रतिभूति रसीदें; तथा
- (iv) आस्ति समर्थित प्रतिभूतियां (एबीएस) एवं बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) जिनकी रेटिंग न्यूनतम निवेश ग्रेड पर या उससे ऊपर की गई हो।

4.3.2 जिन वित्तीय संस्थाओं का ऋण प्रतिभूतियों में एक्सपोजर 31 मार्च 2003 (राष्ट्रीय आवास बैंक के लिए 30 जून 2003) की स्थिति के अनुसार उपर्युक्त पैरा 4.3.1 में निर्दिष्ट विवेकपूर्ण सीमाओं से अधिक है, उन्हें ऐसी प्रतिभूतियों में तब तक कोई नया निवेश नहीं करना चाहिए जब तक वे उपर्युक्त विवेकपूर्ण सीमा का अनुपालन सुनिश्चित नहीं कर लेते।

4.3.3 विवेकशीलता के रूप में संकेंद्रण जोखिम और चलनिधि जोखिम को ध्यान में रखते हुए ऋण प्रतिभूतियों में एक्सपोजर प्राप्त करने के लिए वित्तीय संस्थाओं को अपने निदेशक मंडल की अनुमति से न्यूनतम रेटिंग/गुणवत्ता मानक और उद्योग-वार, परिपक्वता-वार, अवधि-वार, निर्गमकर्ता-वार आदि एक्सपोजर सीमाएं निर्धारित करनी चाहिए, जो इन दिशा-निर्देशों के दायरे में आती हों ।

5 निदेशक मंडलों की भूमिका - रिपोर्टिंग अपेक्षा तथा ऋण प्रतिभूतियों में व्यापार और निपटान

5.1 निदेशकों की भूमिका

5.1.1 वित्तीय संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निदेशक मंडल की ओर से विधिवत् अनुमोदित निवेश संबंधी उनकी नीतियां इन दिशा-निर्देशों में निर्दिष्ट सभी संबंधित पहलुओं को ध्यान में रखकर बनायी गई हैं। ऋण प्रतिभूतियों में निवेश के संबंध में जोखिम का पता लगाने और उसका विश्लेषण करने के लिए तथा समय रहते प्रतिकारात्मक उपाय करने के लिए वित्तीय संस्थाओं को एक समुचित जोखिम प्रबंधन प्रणाली बनानी चाहिए। वित्तीय संस्थाओं को यह सुनिश्चित करने के लिए एक समुचित प्रणाली लगानी चाहिए कि निजी तौर पर आबंटित लिखतों में निवेश, वित्तीय संस्थाओं की निवेश नीति के अधीन विनिर्दिष्ट प्रणाली और क्रियाविधियों के अनुसार किया जाता है ।

5.1.2 रेटिंग अंतरित होने के कारण यदि कोई उल्लंघन हुआ हो तो उसपर ध्यान रखने के साथ-साथ उपर्युक्त पैरा 6 में निर्दिष्ट विवेकपूर्ण सीमाओं का सतर्कता से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निदेशक मंडल को एक निगरानी प्रणाली तैयार करनी चाहिए ।

5.1.3 वित्तीय संस्थाओंके निदेशक मंडलों द्वारा इन दिशा-निर्देशों में समाविष्ट ऋण प्रतिभूतियों में किये गये निवेश के निम्नलिखित पहलुओं की वर्ष में दो बार समीक्षा की जानी चाहिए :

- क) रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कुल टर्न ओवर (निवेश और विनिवेश) ;
- ख) ऐसे निवेशों के लिए रिजर्व बैंक आदेशित विवेकपूर्ण सीमाओं तथा निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित सीमाओं का अनुपालन ;
- ग) निर्गमकर्ताओं/वित्तीय संस्थाओं की बहियों में रखी प्रतिभूतियों का रेटिंग अंतरण तथा परिणामतः संविभाग गुणवत्ता में ह्रास ; और
- घ) निर्धारित आय श्रेणी में अनर्जक निवेशों की मात्रा

5.2 रिपोर्टिंग संबंधी अपेक्षाएं

5.2.1 ऋण के निजी तौर पर आबंटन से संबंधित केंद्रीय डाटाबेस तैयार करने में सहायता के उद्देश्य से निवेशकर्ता वित्तीय संस्थाओं को सभी ऑफर दस्तावेजों की एक-एक प्रति ऋण आसूचना केंद्र (इंडिया) लिमिटेड (सिबिल) के पास रखनी चाहिए । जब वित्तीय संस्थाएं स्वयं ही निजी तौर पर शेयर आबंटन के माध्यम से ऋण जुटाती हैं तो उन्हें भी चाहिए कि वे ऑफर दस्तावेज की एक प्रति सिबिल के पास रखें ।

5.2.2 निवेशकर्ता वित्तीय संस्थाओं को निजी तौर पर शेयर आबंटित किसी ऋण के संबंध में ब्याज की अदायगी/किस्त की चुकौती के संबंध में किसी चूक की भी रिपोर्ट ऑफर दस्तावेज की एक प्रति के साथ सिबिल को करनी चाहिए ।

5.2.3 समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा यथानिर्धारित सूचीबद्ध न की गयी प्रतिभूतियों में निवेश के संबंध में भी, वित्तीय संस्थाओं द्वारा ये ब्यौरे रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किए जाने चाहिए ।

5.3 ऋण प्रतिभूतियों में व्यापार और निपटान

सेबी के दिशा-निर्देशों के अनुसार, किसी सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूति में हाज़िर लेनदेनों को छोड़कर सभी व्यापार सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज के कारोबारी प्लेटफार्म पर ही निष्पादित किए जाएंगे। सेबी के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने के अतिरिक्त, वित्तीय संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सूचीबद्ध और सूचीबद्ध न की गयी ऋण प्रतिभूतियों में किए गए सभी हाज़िर लेनदेन, रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित की जानेवाली तारीख से, एनडीएस पर रिपोर्ट किए जाएं तथा क्लियरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल) के माध्यम से निपटाये जाएं ।

सरकारी वित्तीय संस्थाओं की सूची

1. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लि.
2. भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लि.
3. भारतीय पर्यटन वित्त निगम लि.
4. रिस्क केपिटल एंड टेक्नोलॉजी फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड
5. टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इन्फ़ॉर्मेशन कंपनी आफ् इंडिया लिमिटेड
6. पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड
7. राष्ट्रीय आवास बैंक
8. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
9. रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड
10. भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड
11. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
12. भारतीय निर्यात आयात बैंक
13. इन्फ़्रस्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
14. हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड

अनुबंध 3

उद्यम पूँजी निधि (वीसीएफ) में बैंक के निवेश पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश

1. विवेकपूर्ण निवेश सीमाएं

1.1 उद्यम पूँजी निधियों (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों) में किए गए सभी निवेशों को ईक्विटी के समकक्ष माना जाएगा तथा इस कारण से, उन्हें पूँजी बाजार निवेश (एक्सपोजर) की उच्चतम सीमाओं (ईक्विटी और ईक्विटी से संबद्ध लिखतों में प्रत्यक्ष निवेश की उच्चतम सीमा एवं समग्र पूँजी बाजार निवेश की उच्चतम सीमा) के अनुपालन के लिए संगणित किया जाएगा।

1.2 कंपनियों के रूप में बनाई गई उद्यम पूँजी निधियों में किया गया निवेश, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 19(2) के उपबंधों के अनुपालन के अधीन होगा, अर्थात्, बैंक निवेशिती कंपनी की चुकता पूँजी के 30 प्रतिशत अथवा अपनी चुकता शेयर पूँजी और रिज़र्व के 30 प्रतिशत, इनमें से जो भी कम हो, से अधिक धारित नहीं करेगा।

1.3 इसके अलावा, ईक्विटी/यूनिटों आदि के रूप में उद्यम पूँजी निधियों में निवेश करने पर भी पैरा बैंकिंग गतिविधियों पर 1 जुलाई 2005 के हमारे मास्टर परिपत्र बैंपविवि. एफएसडी. सं. 10/24.01.001/2005-06 के पैरा 3 के अनुसार निर्धारित उच्चतम सीमाएं लागू होंगी जिनके अनुसार किसी बैंक द्वारा किसी सहायक कंपनी, वित्तीय सेवा प्रदान करनेवाली कंपनी, वित्तीय संस्था, स्टॉक तथा अन्य एक्सचेंजों में निवेश बैंक की चुकता पूँजी और रिज़र्व के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए तथा ऐसी सभी कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं, स्टॉक और अन्य एक्सचेंजों में कुल मिलाकर निवेश बैंक की चुकता पूँजी और रिज़र्व के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

2. उद्यम पूँजी निधि (वीसीएफ) में बैंकों के निवेश का मूल्यांकन एवं वर्गीकरण

2.1 उद्यम पूँजी निधियों (वीसीएफ) की कोट किए गए ईक्विटी शेयरों/बांडों/यूनिटों में बैंक के संविभाग को बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) श्रेणी में धारित किया जाना चाहिए तथा दैनिक आधार पर, मार्केड टू मार्केट होने चाहिए, परंतु वर्तमान अनुदेशों के

अनुसार अन्य ईक्विटी शेयरों के लिए मूल्यांकन के मानदंडों के अनुरूप वरीयतः कम-से-कम साप्ताहिक आधार पर धारिता किया जाना चाहिए ।

2.2 इन दिशानिर्देशों के जारी होने के बाद उद्यम पूंजी निधियों के गैर सूचीबद्ध शेयरों/बांडों/यूनिटों में बैंकों द्वारा किए गए निवेशों को प्रारंभिक तीन वर्षों के लिए अवधिपूर्णता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा तथा इस अवधि के दौरान लागत पर मूल्यांकन किया जाएगा । इन दिशानिर्देशों के जारी होने से पहले किए गए निवेशों के लिए, वर्तमान मानदंडों के अनुसार वर्गीकरण किया जाएगा ।

2.3 इस प्रयोजन के लिए, तीन वर्ष की अवधि की गणना जब भी प्रतिबद्ध पूंजी की मांग की गई हो तब उद्यम पूंजी निधि में बैंक द्वारा किये गये प्रत्येक संवितरण के लिए अलग से की जाएगी । तथापि, एचटीएम श्रेणी में प्रतिभूतियों का अंतरण करने हेतु वर्तमान मानदंडों के साथ अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए ऊपर उल्लेख किये अनुसार जिन प्रतिभूतियों ने तीन वर्ष पूरे कर लिए हों उन सभी का अंतरण अगले लेखा वर्ष के प्रारंभ में एक ही लॉट में लागू किया जाएगा ताकि एचटीएम श्रेणी से निवेशों के वार्षिक अंतरण के साथ मेल हो सके ।

2.4 तीन वर्षों के बाद, गैर-सूचीबद्ध यूनिटों/शेयरों/बांडों को एएफएस श्रेणी में अंतरित कर निम्नलिखित रूप में मूल्यांकित किया जाना चाहिए :

i) **यूनिट :**

यूनिटों के रूप में निवेश करने के मामले में, उद्यम पूंजी निधि द्वारा अपने वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) पर उनका मूल्यांकन किया जाएगा । निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) पर आधारित यूनिटों पर यदि कोई मूल्यह्रास हो तो, एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी में निवेशों का अंतरण करते समय उसके लिए प्रावधान किया जाना चाहिए तथा इसके बाद के मूल्यांकनों के समय भी यह प्रावधान किया जाए जो कि उद्यम पूंजी निधि से प्राप्त वित्तीय विवरणों के आधार पर तिमाही या उससे अधिक अंतरालों पर किया जाना चाहिए । कम-से-कम वर्ष में एक बार, लेखा परीक्षा के परिणामों के आधार पर उक्त यूनिटों को मूल्यांकित किया जाना

चाहिए। तथापि, यदि मूल्यांकन करने की तारीख को लेखा परीक्षित तुलन पत्र/वित्तीय विवरण, जिसमें एनएवी आंकड़े दर्शाए जाते हैं, लगातार 18 महीनों से अधिक समय तक उपलब्ध नहीं होते हैं, तो निवेशों का मूल्यन प्रति उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफ) 1.00 रुपये की दर पर किया जाए।

ii) ईक्विटी :

शेयरों के रूप में किये गये निवेशों के मामले में, विश्लेषित मूल्य (‘पुनर्मूल्यन आरक्षित निधियां’ यदि कोई हों पर ध्यान दिये बिना), जिसे कंपनी (वीसीएफ) के अद्यतन तुलन पत्र (जो मूल्यन की तारीख से 18 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए) से सुनिश्चित करना है, के आधार पर अपेक्षित बारंबारता (फ्रिक्वेंसी) पर मूल्यन किया जा सकता है। यदि शेयरों पर कोई मूल्यह्रास है तो निवेशों को बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी में अंतरित करते समय तथा अनुवर्ती मूल्यांकन जो कि तिमाही अथवा उससे भी थोड़े-थोड़े अंतरालों पर करना चाहिए, के समय उसके लिए प्रावधान करना चाहिए। यदि उपलब्ध अद्यतन तुलन पत्र 18 महीनों से अधिक पुराना है तो शेयरों का प्रति कंपनी 1.00 रुपये की दर पर मूल्यांकन किया जाए।

iii) बॉण्ड

वीसीएफ के बॉण्डों में निवेश, यदि कोई हों तो उनका मूल्यन बैंकों द्वारा निवेश संविभाग के वर्गीकरण, मूल्यन तथा परिचालन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किये गये विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किया जाए।

3. वीसीएफ में ऋण आदि जोखिम पर बाजार जोखिम के लिए जोखिम भार तथा पूंजी प्रभार

3.1 वीसीएफ के शेयर तथा यूनिट

वीसीएफ के शेयरों/यूनिटों में निवेशों पर पहले तीन वर्ष के दौरान जब उन्हें परिपक्वता तक धारित श्रेणी के अंतर्गत धारित किया जाता है, ऋण जोखिम को मापने के लिए 150 प्रतिशत जोखिम भार लगाया जाएगा। जब उन्हें बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी के अंतर्गत धारित अथवा अंतरित किया जाता है तो बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की गणना पर वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार अपेक्षित बाजार जोखिम के विशिष्ट

जोखिम घटक पर पूंजी प्रभार 13.5 प्रतिशत पर निर्धारित किया जाए ताकि 150 प्रतिशत का जोखिम भार प्रतिबिंबित हो। सामान्य बाजार जोखिम घटक पर अन्य ईक्विटीज के समान 9 प्रतिशत प्रभार लगाया जाए।

3.2 वीसीएफ के बॉण्ड

वीसीएफ के बॉण्डों में निवेशों पर, पहले तीन वर्ष के दौरान जब इन्हें परिपक्वता तक धारित श्रेणी में धारित किया जाता है, ऋण जोखिम को मापने के लिए 150 प्रतिशत जोखिम भार लगेगा। जब यह बॉण्ड बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी के अंतर्गत धारित अथवा अंतरित किये जाते हैं तो इन पर 13.5 प्रतिशत का विशिष्ट जोखिम पूंजी प्रभार लगेगा। सामान्य बाजार जोखिम के लिए प्रभार की किसी भी अन्य प्रकार के बॉण्डों में निवेशों के मामले में विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार गणना की जाए।

3.3 निवेशों के अलावा वीसीएफ में ऋण आदि जोखिम

निवेशों के अलावा वीसीएफ में ऋण आदि जोखिमों पर भी 150 प्रतिशत का जोखिम भार लगाया जाए।

4. सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) से इतर प्रतिभूतियों से संबंधित दिशानिर्देशों के अंतर्गत छूट

सांविधिक चलनिधि अनुपात से इतर प्रतिभूतियों से संबंधित विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार, गैर सूचीबद्ध एसएलआर से इतर प्रतिभूतियों में किसी बैंक का निवेश पिछले वर्ष के 31 मार्च को एसएलआर से इतर प्रतिभूतियों में उसके कुल निवेश के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, बैंकों को एसएलआर से इतर अनरेटेड प्रतिभूतियों में निवेश नहीं करना चाहिए। वीसीएफ के गैर सूचीबद्ध तथा अनरेटेड बॉण्डों में किए गए निवेशों को इन दिशानिर्देशों से छूट दी जाएगी।

5. वीसीएफ में बैंकों द्वारा अनुकूल (स्ट्रैटेजिक) निवेशों के लिए भारिबैं का अनुमोदन

वीसीएफ में अनुकूल निवेश अर्थात् वीसीएफ की ईक्विटी/यूनिट पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक के समकक्ष निवेश करने के लिए बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए।

भाग क : मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची

क्र. सं.	परिपत्र सं.	दिनांक	विषय
1	एफ्आइसी सं. 187/ 01.02.00 / 94-95	26 सितंबर 1994	पूरक ऋण - अंतरिम वित्त
2	एफ्आइसी सं. 191/ 01.02.00/ 94-95	28 सितंबर 1994	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को ऋण
3	एफ्आइसी सं. 685/ 01.02.00/ 94-95	21 अप्रैल 1995	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को ऋण
4	एफ्आइसी सं. 684/ 01.02. 001/94-95	21 अप्रैल 1995	वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण - ब्रिज ऋण अंतरिम वित्त
5	एफ्आइसी सं. 183/ 1.02.01/ 95-96	18 अगस्त 1995	वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण - पूरक ऋण - अंतरिम वित्त
6	एफ्आइसी सं. 235/ 1.02.00/ 95-96	13 सितंबर 1995	हामीदारी आदि बाध्यताओं के संबंध में प्रति बढ़ता
7	एफ्आइसी सं. 432/01.02.00/ 95- 96	2 दिसंबर 1995	वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण - पूरक ऋण - अंतरिम वित्त - वित्तीय संस्थाओं की सहायक संस्थाएं
8	एफ्आइसी सं. 851/ 1.02.00/ 95-96	26 जून 1996	वित्तीय संस्थाओं द्वारा कार्यशील पूंजी की मंजूरी
9	एफ्आइसी सं. 11/01.02.00/ 96-97	4 अप्रैल 1997	वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण - पूरक ऋण - अंतरिम वित्त
10	एफ्आइसी सं. 13/ 02.01.01/ 96-97	21 मई 1997	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को ऋण
11	डीओएस.एफ्आइसी सं. 17 01.02.00/96-97	28 जून 1997	मीयादी ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा व्यक्ति/समूह उधारकर्ताओं को ऋण जोखिम की सीमा
12	डीओएस.एफ्आइसी सं. 18/ 01.02.00 /97-98	11 सितंबर 1997	मीयादी ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा व्यक्ति/समूह उधारकर्ताओं को ऋण जोखिम की सीमा
13	डीओएस.एफ्आइसी सं. 20/ 01.02.00/ 97-98	4 दिसंबर 1997	मीयादी ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा व्यक्ति/समूह उधारकर्ताओं को ऋण जोखिम की सीमा
14	डीबीएस.एफ्आइसी सं. 37/ 02.01.01/ 98-99	11 जनवरी 1999	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को ऋण
15	डीबीएस.एफ्आइसी सं. सी-7/ 01.02.00/99-2000	13 नवंबर 1999	व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के लिए ऋण जोखिम मानदंड
16	डीबीएस.एफ्आइसी सं.सी- 26/01.02.00/2000-01	20 जून 2001	मौद्रिक एवं ऋण नीति उपाय 2001-2002 ऋण जोखिम मानदंड

17	डीबीएस.एफ़आइडी.सं.सी-3/ 1.02.00/2001-02	27 अगस्त 2001	ऋण जोखिम मानदंड -पुनर्वित्त संस्थाओं पर प्रयोज्यता
18	डीबीएस.एफ़आइडी.सं.सी- 12/.02.00/2002-03	20 जनवरी 2003	ऋण जोखिम मानदंड - व्युत्पन्नी उत्पादों के ऋण जोखिम का मापन - मापन विधि
19	डीबीएस.एफ़आइडी.सं. सी- 11/01.02.00/2003-04	8 जनवरी 2004	ऋण प्रतिभूतियों में वित्तीय संस्थाओं के निवेश पर अंतिम दिशा-निर्देश
20	डीबीएस. एफ़आइडी. सं. सी- 1/01.02.00/2004-05	26 जुलाई 2004	वर्ष 2004-05 के लिए वार्षिक नीति विवरणी - वित्तीय संस्था द्वारा विवेकपूर्ण ऋण जोखिम
21	डीबीओडी.सं.एफआइडी. एफआइसी 4/01.02.00/ 2007-08	2 जुलाई 2007	मास्टर परिपत्र - वित्तीय संस्थाओं के लिए ऋण (एक्सपोजर) संबंधी मानदंड

भाग ख: ऋण जोखिम मानदंड से संबंधित/संगत अनुदेश वाले अन्य परिपत्रों की सूची
जिन्हें मास्टर परिपत्र में सम्मिलित किया गया है

क्र. सं.	परिपत्र सं.	दिनांक	विषय
1.	आईसीडी. सं. 7/सीएमडी. जीए/जीईएन/ 91-92	29 जुलाई 1991	समूह खाते
2	एफ्आईसी. सं. 337/ 01.02.00 /95-96	3 नवंबर 1995	वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण - पूरक ऋण अंतरिम वित्त
3	डीबीएस. एफ्आईडी. सं. 24/ 02.01.00/97-98	23 जनवरी, 1998	वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण - पूरक ऋण /अंतरिम वित्त
4	डीबीएस. एफ्आईडी. सं. 35/ 01.02.00/98-99	3 दिसंबर 1998	विवेकपूर्ण मानदंड सुदृढ बनाना
5	डीबीएस .एफ्आईडी. सं. 507/ 01.02.00/98-99	2 जनवरी 1999	विवेकपूर्ण मानदंड सुदृढ बनाना वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी बांडों /प्रतिभूतियों में बैंकों के निवेश पर जोखिम भारांक
6	डीबीएस .एफ्आईडी. सं.सी-6/ 01.02.00/2001-02	16 अक्टूबर 2001	निवेशों के वर्गीकरण तथा मूल्यन के संबंध में दिशा-निर्देश
7	डीबीएस. एफ्आईडी. सं.सी-5/ 01.02.00 /2002-03	8 अगस्त 2002	पूंजी पर्याप्तता तथा ऋण जोखिम मानदंड - वित्तीय संस्थाओं द्वारा बैंकों की गारंटी पर जारी ऋणों की अभिक्रिया
8	डीबीओडी. सं. बीपी. बीसी. 67/ 21.04.048/2002-03	4 फ़रवरी 2003	बुनियादी सुविधा वित्त पोषण के संबंध में दिशा-निर्देश
9.	डीबीएस .एफ्आईडी. सं. सी-5/ 01.02.00/2003-04	1 अगस्त 2003	सुदृढ लेखा और सुदृढ पर्यवेक्षण के लिए दिशा-निर्देश
10	डीबीओडी. बीपी. बीसी. सं. 3/ 21.01.002/2004-05	6 जुलाई 2004	बैंकों /वित्तीय संस्थाओं में परस्पर धारिता
11	डीबीओडी.एफ्आईडी.एफ्आईसी.सं. .9/01.02.00/2010-11	1 दिसंबर 2010	विवेकपूर्ण दिशानिर्देश-जोखिम पूंजी निधियों में निवेश